


(1)  
उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 सपठित उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का  
मूल्यांकन(संशोधन नियमावली) 2015 के अधीन जनपद देहरादून के निबंधन उप जिला  
विकासनगर प्रथम/द्वितीय के प्रमुख मार्गों/नगरीय क्षेत्रों/अर्द्धनगरीय विशिष्ट  
क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण  
(यह दरें दिनोंक 14 जनवरी 2018 से प्रभावी होंगी)

  
(बीर सिंह बुदियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
देहरादून

कार्यालय कलेक्टर, देहरादून

- पत्रांक: 448 /स्टाम्प लिपिक-मू0सू0/2018
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
  - 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 3-जिला निबंधक, देहरादून।
  - 4-जिला स्टाम्प अधिकारी देहरादून।
  - 5-सहायक महानिरीक्षक निबंधन, देहरादून।
  - 6-उप जिलाधिकारी विकासनगर।
  - 7-उप निबंधक प्रथम/द्वितीय विकासनगर।
  - 8-तहसीलदार विकासनगर।

  
(एस0एस0मुरुगेशन)

आई0एस0  
कलेक्टर, देहरादून

दिनोंक: 12, जनवरी 2018

  
(एस0एस0मुरुगेशन)

आई0एस0  
कलेक्टर, देहरादून



**तहसील विकासनगर जनपद देहरादून  
नगरपालिका विकासनगर एवं प्रमुख मार्ग क्षेत्र**

क्रमांक	प्रमुख मार्ग / मौहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रूपये प्रति वर्गमीटर) सामान्य दर		प्रमुख मार्ग पर 0 से 350 मीटर दूरी के अर्न्तगत बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया दर रूपये प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)		
			0 से 50 मीटर तक	50 मीटर के बाद 350 मीटर तक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
1	A	विकासनगर में मण्डी चौक से डाकपत्थर रोड तक सड़क के दोनों ओर	5	6	7	8	9	10	11	
			1	2	3	4	5	6	7	8
			2	3	4	5	6	7	8	9
			3	4	5	6	7	8	9	10
			4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13		

(बीर सिंह बुदिमन्त)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
देहरादून

